pan>

Title: Issue regarding increasing incidents of attacks on media in Uttar Pradesh.

श्री दहन मिश्रा (श्रावस्ती) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे संविधान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तम्भ माने गए हैं। तीन खंभों पर खड़ी इमारत शायद उतनी मजबूत न होती, इसलिए प्रेस और मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ की संज्ञा दी गई है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से आज सदन और सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रेस की आजादी और पत्रकारों पर हो रहे जानलेवा हमलों के ऊपर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे संसदीय क्षेत्र के जनपद बलरामपुर के विकासखंड गैंसड़ी में विगत 7 जनवरी को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान दिन के 12 बजे जब एक महिला बीडीसी सदस्य मतदान करने के लिए आई, वहां पर मौजूद प्रदेश सरकार के एक मंत्री पुत्र द्वारा उसको जबरदस्ती खींच कर अपने साथियों के साथ ले जाने लगे, उसका अपहरण करने का प्रयास किया। वहां पर मौजूद प्रदेश सरकार के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मूकदर्शक और तमाशबीन बने रहे। वहां पर मौजूद पत्रकारों ने अपने कर्तव्य का बोध करते हुए जब उसका कवरेज करने का साहस किया, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने की कोशिश की तो यह मंत्री पुत्र को नागवार गुजरा और पत्रकारों के ऊपर उन्होंने जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें तमाम पत्रकार गंभीर रूप से घायल हुए। इसके तमाम सबूत हैं, फोटो हैं, वीडियो हैं, इसके बावजूद भी वहां की स्थानीय पुलिस आज तक न एफआईआर दर्ज कर रही है और न कोई कार्रवाई कर रही है। यह बहुत गंभीर मामला है। पत्रकारों और प्रेस की आजादी के ऊपर हमला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि लोक तंत्र के चौथे स्तम्भ के लिए सरकार समुचित ध्यान दे। ...(व्यवधान) मैं दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।।

माननीय सभापति :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री दहन मिश्रा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।